

## Order sheet [Contd]

case No: B.A.- 253/2017

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
10/07/17 11:15 to 11:30 am	<p>आवेदक/अभियुक्त दीपक राजावत द्वारा श्री अवध बिहारी पाराशर अधिवक्ता उपस्थित।</p> <p>राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>इस न्यायालय में लंबित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 06/17 डकैती उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ बनाम दीपक राजावत अंतर्गत धारा-392 भा0दं0सं0 एवं धारा-11 एवं 13 म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 का मूल अभिलेख प्राप्त।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त दीपक राजावत के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 के साथ अधिवक्ता श्री अवध बिहारी पाराशर का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक का प्रथम जमानत आवेदन है। इस आवेदन के अतिरिक्त इस प्रकृति का कोई अन्य आवेदन समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया है, न निरस्त हुआ है।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त दीपक राजावत के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-439 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक लगभग चार माह से निरोध में है। उसके घर पर देखरेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। घटना की रिपोर्ट अज्ञात में है। पुलिस द्वारा गलत तरीके से जप्ती की कार्यवाही की गई है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।</p> <p>राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।</p> <p>उभयपक्ष को सुने जाने एवं विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 06/17 डकैती के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 21/11/2016 को फरियादी कुलदीप सिंह राठौर अपनी मां सूरजमुखी एवं पुत्री तनिष्का के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.एफ.-7933 से भिण्ड से अपने मामा के यहां ग्राम गुहीसर जा रहा था। शाम 6:30 तीन लोगों ने कट्टा लगाकर सूरजमुखी से एक सोने की जंजीर तथा फरियादी का सैमसंग कंपनी का मोबाइल जिसमें सिम डली थी एवं नकदी तीन हजार रुपए लूट लिए और अपनी मोटरसाइकिल से भाग गए। जिसकी रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मौ में दर्ज कराई गई।</p> <p>दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आए कि उक्त लूट अभियुक्तगण दीपक राजावत, सूरज सिंह भदौरिया एवं कमल सिंह चौहान के द्वारा की गई थी। दीपक राजावत से 100-100 के दो नोट जप्त किए गए हैं।</p> <p>म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की</p>	

	Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>धारा-5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।</p> <p>इस प्रकार धारा-5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक दीपक राजावत का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की सत्यप्रतिलिपि विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक 06/17 में संलग्न की जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।</p> <p style="text-align: center;">(मोहम्मद अजहर) विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला भिण्ड</p>	